4/25

वकील उभयपक्ष उपः। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन व बहस मनन किया गया अधिवक्ता प्रार्थी नें प्रार्थना-पत्र के कथनों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा का ताफैसला दावा कन्फर्म करनें का निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोराते हुयें अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज करने का निवेदन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा के बिंदु प्रथम दृष्टया मामला एंव सुविधा संतुलन अपूर्णक्षति पर विचरण किया गया। उभयपक्ष की बहस व पत्रावली के अवलोकन से उक्त बिंदु उभयपक्ष के पक्ष में तय किये जाते है। चूकीं भूमि प्रार्थी/अप्रार्थी के स्वयं के नाम ही दर्ज रिकार्ड है, दावा खाता विभाजन का है। अतः प्रा०-पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर दिनांक 15.11.2022 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा संशोधित कर ताफैसला कन्फर्म किया जाता है। प्रार्थी/अप्रार्थीगण हिस्सा विशेष भूमि का बेचने

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न करें ना ही सुधार के अतिरिक्त निर्माण करें। यदि प्रार्थी/अप्रार्थीगण अपने एक हिस्सा की भूमि पर बैंक ऋण लेते हैं उस पर उक्त निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। प्रार्थना पत्र मूल वाद के साथ सलग्न रहें।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया